बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 189354 पटना, दिनांक- 24/06/2014

ग्रा0 वि05/ सा0आ0जन0(प्रारूप प्रका0)-103-09/2013

प्रेषक,

एस.एम.राजू,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
-सह-
मुख्य SECC पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय :- सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) अंतर्गत COTS (Claims & objections Tracking System) के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों के निष्पादन के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

राज्य में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना का कार्य अपने अंतिम चरण में है। SECC की समीक्षा के दौरान अनेक जिलों से ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि बिहार में SECC कार्य के लिए प्राधिकृत एजेन्सी ECIL (CPSU) को केन्द्र सरकार से SECC मद में राशि प्राप्त न होने के कारण उनके द्वारा अपने सेवा प्रदाताओं (Vendors) को राशि भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण COTS के तहत प्राप्त दावे/आपत्तियों की COTS सॉफ्टवेयर पर प्रविष्टि Vendors द्वारा नहीं करायी जा रही है । भुगतान की समस्या के कारण COTS के तहत प्राप्त दावे। आपत्तियों के NIC पर अपलोडिंग में जिला पदाधिकारी स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं ।

इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी जहानाबाद द्वारा वार्ता के क्रम में बताया गया कि उन्होंने जिला पदाधिकारी किशनगंज के पदस्थापन काल में SECC के उपरोक्त समस्या से सफलतापूर्वक निबटते हुए, ECIL कर्मियों द्वारा SECC का कार्य ससमय संपादित नहीं करने पर प्राईवेट भेन्डरों के माध्यम से 60-70 पैसे प्रति प्रविष्टि की दर से SECC के लंबित कार्यो को पूरा करा लिया था ।

जहानाबाद के संबंध में जिला पदाधिकारी जहानाबाद द्वारा बताया गया कि COTS के तहत प्राप्त दावे/आपत्ति संबंधी आवेदनों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। वर्तमान में प्राप्त दावे/ आपत्तियों को प्रखंडवार एवं प्रगणन खंड (EB) वार अलग-अलग बंडल बनाकर उसे चार्ज सेन्टर पर COTS सॉफ्टवेयर पर अपलोड कराया जा रहा है तदुपरांत प्रखंड स्तरीय नामित पदाधिकारियों द्वारा उन आवेदनों पर सुनवाई कर पारित आदेश के आलोक में NIC पर अपलोड किया जाना है । जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा आशवस्त किया कि एक सप्ताह में उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में SECC के लंबित कार्यो को शीघ्रता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण

करने हेतु सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि COTS के तहत प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किशनगंज की भांति SECC के दावे/आपत्तियों को एक सप्ताह के अंदर युद्ध स्तर पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे । इसके लिये प्राईवेट सेवा प्रदाता की भी आवश्यकता महसूस हो तो उसकी सेवा प्राप्त कर SECC के लंबित कार्यो को दिनांक- 30.06.2014 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे । राशि की कमी होने पर DRDA में उपलब्ध किसी भी राशि का उपयोग कर इस कार्य को ससमय पूर्ण किया जाये तथा व्यय किये गये राशि की मॉग विभाग से की जाये । इस कार्य की महत्ता को देखते हुए किसी वरीय पदाधिकारी को SECC का प्रभारी पदाधिकारी बनाते हुए प्रतिदिन दावे/आपत्तियों के निष्पादन/अपलोडिंग का स्वयं अनुश्रवण किया जाये । SECC से जुड़े सभी पदाधिकारी/कर्मियों को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि SECC के लंबित कार्यो को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसे 30.06.2014 तक पूर्ण करा लिया जाना है तथा इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा ।

विश्वासभाजन

(एस.एम.राजू)

सचिव 24/6/14

ज्ञापांक ---189354--- दिनांक---24/06/2014---

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का अक्षरश: अनुपालन करते हुए SECC के लंबित कार्यो को दिनांक-30.06.2014 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे ।

सचिव

ज्ञापांक ---189354--- दिनांक---24/06/2014--- 24/6/14

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, ECIL को सूचनार्थ प्रेषित । बार-बार स्मारित करने के बावजूद ECIL द्वारा SECC कार्य में अनावश्यक असहयोग करने के कारण यह व्यवस्था की जा रही है।

सचिव

ज्ञापांक ---189354--- दिनांक---24/06/2014--- 24/6/14

प्रतिलिपि:- डा0 एन. के. साहू, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । COTS मॉड्यूल में दावे/आपत्तियों के अपलोडिंग में ECIL द्वारा असहयोग किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त वर्णित रीति से SECC कार्य को पूर्ण करने की कार्रवाई की जा रही है । अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति ECIL को किये जाने वाले भुगतान से काटकर राज्य सरकार को करने की कृपा की जाये ।

सचिव

24/6/14